सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023 / 05 दर्ज तिथिः–05.01.2023

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. सीताराम जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सन्तरा पत्नि स्व. मदनलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. नरेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. पवन कुमार पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. सोनू पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. शारदा देवी पत्नि स्व. श्यामलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. हीरालाल पुत्र स्व. श्यामलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. रोहित पुत्र स्व. श्यामलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
2. सर्व साधारण
3. इन्द्र चन्द पुत्र हरख चन्द जाति महाजन निवासी चूरू
4. चम्पालाल पुत्र सुगन चंद जाति महाजन निवासी चूरू
5. सागरमल पुत्र फतेह चन्द्र जाति महाजन निवासी चूरू
6. सोहनलाल पुत्र सुगन चन्द जाति महाजन निवासी चूरू
7. हंसराज पुत्र हरख चन्द जाति महाजन निवासी चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री सुरेन्द्र जाखड़
प्रतिवादीगणः– एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:29 IST
Reason: SelfAttested

स्वत्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण के पूर्वज काश्तकार पेशा व्यक्ति रहे है पूर्वजों की तरह वादीगण भी काश्तकार पेशा व्यक्ति है।
2. कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 414 तादादी 40 बीधा रौही मौजा कस्बा चूरू तहसील चूरू जिला चूरू वादीगण के पूर्वज बालू पुत्र मघा जाति माली निवासी कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू की बतौर खातेदारी, कब्जा काश्तकारी की भूमि रही उक्त कृषि भूमि पर वादीगण के पूर्वज बालू पुत्र मघा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त बतौर खातेदार रहा है। यहीं वादगत कृषि भूमि है।
3. वाद गत कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के सम्वत् 2006 से वादीगण के पूर्वज बालू पुत्र मघा की खुद कास्त की भूमि रही है जिसका उनके पुत्रों स्व० रावतराम, स्व० रुद्धाराम, स्व० गोविन्द प्रसाद, स्व. नारायण प्रसाद के बीच में बाहमी बँटवारा कर लिया था मुताबिक बाहमी बँटवारा के वादी संख्या 1 के पिता, वादी संख्या 2 के ससुर, वादीगण संख्या 3 ता 5 के दादा, वादीनी संख्या 6 के ससुर व वादीगण संख्या 7, 8 के दादा सीताराम के पुराना खसरा नम्बर 414 में से नये खसरा नम्बर 1401/1257 तादादी 3 बीधा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 1407/1257 तादादी 11 बीधा रोही कस्बा चूरू हक हिस्स में आई थी। सीताराम के स्वर्गवास के बाद सीताराम के पुत्रों जगदीश वादी संख्या 1, वादीनी संख्या 2 के पति, वादीगण संख्या 3 ता 5 के पिता स्व० मदनलाल, वादीनी संख्या 6 के पति, वादीगण संख्या 7 व 8 के पिता स्व. श्यामलाल के हक हिस्सा व पान्ती में आ गई। वादीगण का वंश वृक्ष निम्न प्रकार से है।

वंश—वृक्ष

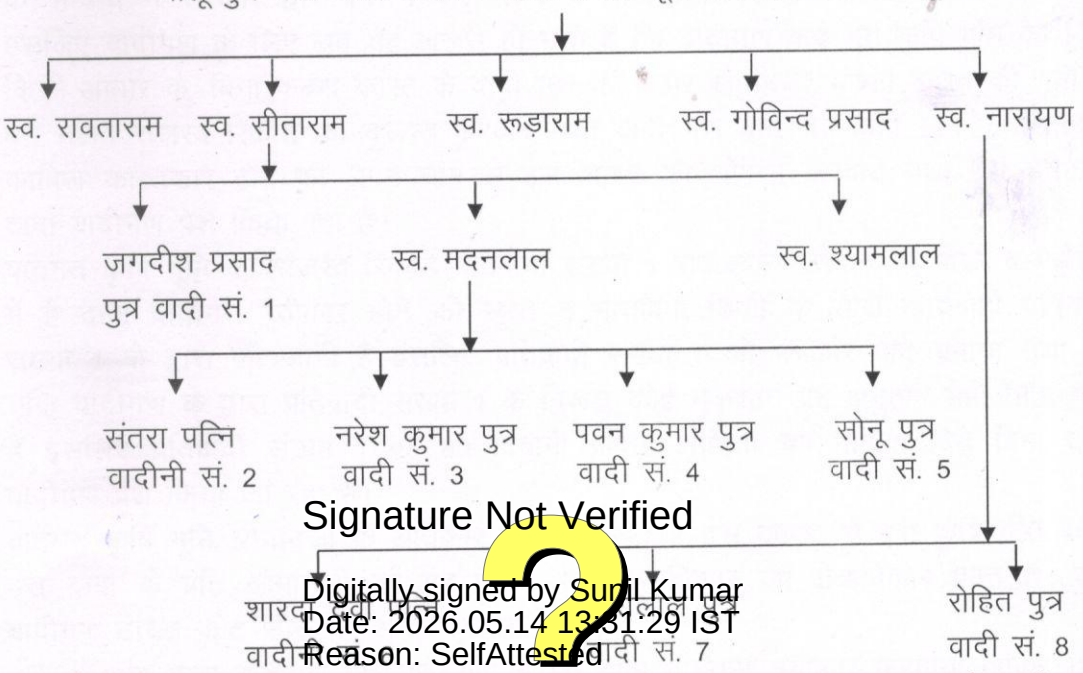

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:29 IST
Reason: SelfAttested

4. वाद गत कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 414 [redacted] खसरा नम्बर 1401/1257 तादादी 3 बीधा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 1407/1257 तादादी 11 बीधा रोही कस्बा चूरू वादीगण की अपने पूर्वजों के समय से अर्थात् राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व सकब्जा कास्त

व स्वामित्व की रही है। इस प्रकार से वादीगण वाद गत कृषि भूमि के राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण वादगत कृषि भूमि के बाई आपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काबिज कास्तकार हो चुके है।

5. पिछले दिनों वादगत कृषि भूमि पर के. सी. सी. बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल लेने हेतु वादी सख्या 3 कलेक्ट्रेट कार्यालय चूरू परिसर में स्थित ई—मित्र पर गया व वहाँ जाकर जमाबन्दी की नकल हासिल की तो बादी संख्या 3 को सर्वप्रथम पता चला कि वाद गत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 6 सोहनलाल, प्रतिवादी संख्या 4 चम्पालाल पिसरान सुगनचन्द, प्रतिवादी संख्या 3 इन्द्रचन्द, प्रतिवादी संख्या 7 हंसराज पिसरान हरख चन्द्र, प्रतिवादी संख्या 5 सागर मल पुत्र फतेह चन्द कौम महाजन ओसवाल कोठारी निवासीगण चूरू के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है। इस पर वादी संख्या 3 ने अन्य वादी गण को यह सारी बात बताई। इस पर वादीगण ने कस्बा चूरू की हर गली मोहल्ले में हर महाजन, ओसवाल, कोठारी के घरों में जाकर, दुकानों पर, बाजारों में उपर वर्णित सोहन लाल वगैरा के बारे में, उनके वारिसानों के बारे में उनका अता—पता क्या है, कहाँ के है. कहाँ गये है, कहाँ रहते है, जीवित है या मृत्यू हो चुकी है पूछताछ की मगर इस बाबत कोई अता पता नहीं चला। इस बारें में जिस जिस से भी पूछ ताछ की तो हर एक ने उन्हें अपरिचित, अन्जान व काल्पनिक बताया। इस कारण से वादीगण के द्वारा अन्जान, गलत रूप से दर्ज किए, लापता खातेदारान को पक्षकारान वाद न बनाया जाकर सर्व साधारण को पक्षकार बनाया गया है सर्व साधारण के नाम से अखबार में दावा के सम्बन्ध मेंसम्मन साया करवा दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति आपत्ति करेगा तो उसको सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जा सकेगा। फिर भी माननीय न्यायालय के मौखिक आदेश के बाद गत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकन किए खातेदारान को भी पक्षकार बतौर प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 बनाया जा रहा है।

6. वादीगण वाद गत कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज कास्तकार होते हुए भी उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ व योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे है इसलिए वादीगण के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वादीगण वाद गत कृषि भूमि का बिना किसी आधार के, बिना कब्जा कास्त के वादी गण की बतौर खातेदारी, कब्जा कास्त की भूमि के बने गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाये तथा वादी गण वाद गत कृषि भूमि के खातेदार, काबिज कास्तकार होने की अपने नाम से इस आश्य की घोषणा करवाये तथा इस हेतु यह दावा वादीगण पेश किया रहा है।

7. वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार के पावर व पजेशन में है दावा वादीगण स्वीकार होने की सूरत में मुताबिक डिकी के सारी कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा की जानी है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार वाद बनाया गया है। चूंकि वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कोई नुकशान प्रद अनुतोष नही चाहा गया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को 80 दिवानी प्रकिया संहिता का नोटिश दिये बिना दावा वादीगण पेश किया जा रहा है।

8. वादगत कृषि भूमि श्री... स्थित है इस कारण से इस कृषि भूमि बाबत इस दावा के प्रति श्रीमानजी को ... अधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद वादीगण उचित कोट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीगण पेश कर अर्ज है कि दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे —

(क) घोषणा इस आश्य की की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 414 नये खसरा नम्बर 1401/1257 तादादी 3 बीधा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 1407/1257 तादादी 11 बीधा कुल

किता 2 कुल तादादी 14 बीघा 10 विश्वा रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू के वादीगण राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के तहत व बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार, काबिज कास्तकार है।

(ख) कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 414 नये खसरा नम्बर 1401/1257 तादादी 3 बीधा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 1407/1257 तादादी 11 बीघा कुल किता 2 कुल तादादी 14 बीधा 10 विश्वा के राजस्व रिकार्ड से वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के अंकित गलत व काल्पनिक नाम सोहन लाल 1/4 हिस्सा, चम्पालाल पिसरान सुगन चन्द 1/4 हिस्सा, इन्द्रचन्द पिसरान हरखचन्द 1/8 हिस्सा, सागरमल पुत्र फतेहचन्द 1/4 हिस्सा हंसराज पुत्र हरख चन्द 1/8 हिस्सा कौम महाजन ओसवाल कोठारी के नाम हटाये जाकर वादी संख्या 1 जगदीश 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 ता 5 सन्तरा पत्नी मदनलाल, नरेश कुमार, पवन कुमार, सोनू पिसरान मदनलाल 1/3 हिस्सा ब०हि०ब०, वादीगण संख्या 6 शारदा देवी पत्नी श्यामलाल, हीरालाल, रोहित पिसरान श्यामलाल 1/3 हिस्सा ब०हि०ब० सा० देह खातेदार अंकित किया जावे। इस आश्य का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सख्या 1 से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे वोह भी दिलवाया जावे। आपकी बड़ी कृपा होगी।

9. वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी होने के कारण केवल औपचारिक पक्षकार के रूप में अभिलेख पर लिया गया है।

10. एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश के पश्चात मामला वादी साक्ष्य में नियत किया गया। वादी संख्या 1, जगदीश प्रसाद (PW-1) ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र पेश किया।

Evidance-Plaintiff

11. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
गिरदावरी	संवत 2006 से 2010 पंचवर्षीय गिरदावरी खसरा नं. 414 रोही कस्बा चूरू	प्रदर्श–पी. 01
गिरदावरी	संवत 2011 से 2014 पंचवर्षीय गिरदावरी खसरा नं. 414 रोही कस्बा चूरू	प्रदर्श–पी. 02
गिरदावरी	संवत 2015 से 2018 पंचवर्षीय गिरदावरी खसरा नं. 414 रोही कस्बा चूरू	प्रदर्श–पी. 03
गिरदावरी	गिरदावरी संवत 2019 खसरा नं. 414 रोही कस्बा चूरू	प्रदर्श–पी. 04
गिरदावरी	संवत 2020 से 2021 [illegible] खसरा नं. 414 रोही कस्बा [illegible]	प्रदर्श–पी. 05
खसरा मिलान भू. प्रबन्ध विभाग	खसरा मिलान भू. प्रबन्ध [illegible] संवत 2025 खेत खसरा संख्या 4[illegible] रोही कस्बा चूरू	प्रदर्श–पी. 06
खसरा मिलान भू. प्रबन्ध विभाग	खसरा मिलान भू. प्रब[illegible] विभाग संवत 2025 खेत खसरा संख्या 414 रोही कस्बा चूरू	प्रदर्श–पी. 07
जमाबंदी	जमाबन्दी सम्वत 2074 बाबत खेत ख.न. गत 414 हाल ख.नं. 1401/1257 रोही कस्बा चूरू	प्रदर्श–पी. 08

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:29 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रकरण में साक्ष्यवादी जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. सीताराम पी0डब्ल्यू—01 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार कथन किये—

1. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हैं कि कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 414 तादादी 40 बीघा रोही कस्बा चूरू तहसील चूरू जिला चूरू हम वादीगण के पूर्वज बालू पुत्र मघा जाति माली निवासी कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू की बतौर खातेदारी, कब्जा कास्तकारी की भूमि रही है। उक्त कृषि भूमि पर हम वादीगण के पूर्वज बालू पुत्र मघा का राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त बतौर खातेदार रहा है।
2. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि वाद गत कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के सम्वत् 2006 से हम वादीगण के पूर्वज बालू पुत्र मघा की खुद कास्त की भूमि रही है जिसका उनके पुत्रों स्व० रावतराम, स्व० सीताराम, स्व० रूडाराम, स्व० गोविन्द प्रसाद, स्व० नारायण प्रसाद के बीच में बाहमी बँटवारा कर लिया था मुताबिक बाहमी बँटवारा के मुझ वादी के पिता, वादी संख्या 2 के ससुर, वादीगण संख्या 3 ता 5 के दादा, वादीनी संख्या 6 के ससुर व वादीगण संख्या 7, 8 के दादा सीताराम के पुराना खसरा नम्बर 414 में से नये खसरा नम्बर 1401/1257 तादादी 3 बीधा 10 विश्वा खसराश नम्बर 1407/1257 तादादी 11 बीघा रोही कस्बा चूरू हक हिस्सा व पान्ती में आई। मेरे पिता सीताराम के स्वर्गवास के बाद सीताराम के पुत्रों मुझ वादी संख्या 1 वादीनी संख्या 2 के पति, वादीगण संख्या 3 ता 5 के पिता स्व० मदनलाल, वादीनी संख्या 6 के पति, वादीगण संख्या 7 व 8 के पिता स्व० श्यामलाल के हक हिस्सा व पान्ती में आ गई। वादीगण का वंश वृक्ष दावे के अनुसार है।
3. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि वादगत कृषि भूमि पर के. सी. सी. बनवाने के लिए आज से करीब 3 वर्ष पूर्व मेरा भतीजा वादी संख्या 3 नरेश कुमार जब कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ई—मित्र पर जाकर वाद गत कृषि भूमि की जमाबन्दी निकलवाई तो पता चला कि वाद गत कृषि भूमि हम वादीगण के नाम न होकर प्रतिवादीगण 3 इन्द्रचन्द्व महाजन वगैरा के नाम से चली आ रही है। यह बात वादी संख्या 3 ने हम सब अन्य वादी गण को बताई। इस पर वादीगण तो हमने कस्बा चूरू की हर गली, मोहल्ले में महाजन, ओसवाल, कोठारी के घरों में जाकर, दुकानों पर, बाजार में स्थित दुकानों पर जाकर पता किया मगर प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 का कोई अता पता नही चला फिर भी वाद गत कृषि भूमि में गलत व झूठे दर्ज नाम के व्यक्तियों को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दावा भिजवाये गये जिस पर स्पष्ट रिपोर्ट आई कि No Such Person in the Address नोटिस वापिस न्यायालय में आ गये।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हैं कि धोषणा इस आश्य की की जावे कि वाद गत कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 414 नये खसरा नम्बर 1401/1257 तादादी 3 बीधा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 1407/1257 तादादी ।। बीधा कुल किता 2 कुल तादादी 14 बीधा 10 विश्या रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू के वादीगण खातेदार, काबिज कास्तकार है। उक्त वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड [illegible]गण संख्या 3 ता 7 के गलत व काल्पनिक नाम सोहन लाल पु[illegible] पुत्र सुगन चन्द 1/4 हिस्सा, इन्द्रचन्द पुत्र हरखचन्द 1/8 हिस्सा, [illegible] पुत्र हरखचन्द 1/8 हिस्सा, सागरमल पुत्र फतेहचन्द 1/4 हिस्सा कौम महाजन [illegible]सीगण चूरू के नाम हटाये जाकर मुझ वादी संख्या 1 जगदीश 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 ता 5 सन्तरा पत्नी स्व० मदनलाल, नरेश कुमार, पवन कुमार, सोनू पिसरान स्व० मदनलाल 1/3 हिस्सा, ब०हि०ब०, वादीगण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:29 IST
Reason: SelfAttested

6 शारदा देवी पत्नी श्यामलाल, हीरालाल, रोहित पिसरान श्यामलाल 1/3 हिस्सा ब०हि०ब० सा० देह खातेदार अंकित किया जावे। इस आश्य का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

5. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि इस शपथ पत्र की मद संख्या 1 ता 4 मैने मेरी नीजि जानकारी व राजस्व रिकार्ड के आधार पर सत्य व सही लिखाई है सत्य बयानी में ईश्वर मेरी मदद करे।

13. चूंकि प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे, इसलिए वादी साक्षी से कोई जिरह नहीं हुई। वादी के अधिवक्ता ने बयान दिया कि वे अपनी साक्ष्य पूर्ण कर चुके हैं। न्यायालय के आदेशानुसार वादी साक्ष्य बंद की गई। साक्ष्य बंद होने के उपरांत अंतिम बहस सुनी गई।

14. अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रस्तुत गिरदावरी (संवत 2006) यह प्रमाणित करती है कि काश्तकारी कानून लागू होने के समय भूमि वादी के पूर्वजों की खुदकाश्त में थी। कानूनन वे By Operation of Law खातेदार बन चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में दर्ज खातेदार (प्रतिवादी 3 से 7) केवल कागजी और काल्पनिक हैं, जिनका न तो गांव में निवास है और न ही मौके पर कब्जा।

15. वादीगण ने यह घोषणात्मक वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 414 (नया 1401/1257 व 1407/1257) रोही चूरू पर उनके पूर्वज बालू राम का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व से कब्जा व खुदकाश्त रहा है, अतः उन्हें By Operation of Law खातेदार घोषित किया जावे एवं वर्तमान में दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के नाम काल्पनिक मानकर विलोपित किए जावें। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया एवं वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजस्व विधि का यह एक अनिवार्य सिद्धांत है कि खातेदारी का दावा करने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि वह राज्य सरकार को उस भूमि का लगान चुका रहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने संवत 2006 से आज दिनांक तक की एक भी लगान की रसीद साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की है। लगान का भुगतान न करना यह प्रमाणित करता है कि वादीगण का भूमि पर कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं है। बिना लगान भुगतान के प्रमाण के, किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता।

वादीगण ने केवल संवत 2021 तक की पुरानी गिरदावरियां पेश की हैं। वर्तमान समय में वादीगण का मौके पर भौतिक कब्जा है, इस बाबत कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। वादीगण अपने निरंतर कब्जे को साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं।

वादीगण ने साक्ष्य में केवल संवत 2006 से 2021 की गिरदावरी (प्रदर्श पी–1 से पी–5) पेश की है। राजस्व विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि खसरा गिरदावरी केवल एक दस्तावेज है जो केवल सामयिक कब्जे और फसल की प्रविष्टि दर्शाती है। यह हक का दस्तावेज नहीं है। वादीगण ने उस महत्वपूर्ण वर्ष की जमाबंदी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। साक्ष्य में मुख्य दस्तावेज (जमाबंदी) का अभाव वादी के दावे को आधारहीन बनाता है।

वादीगण ने संवत 2021 के [illegible] वर्तमान तक का कोई भी राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। साक्ष्य [illegible] कोई पक्षकार सर्वोत्तम साक्ष्य को न्यायालय से छिपाता है या प्रस्तुत नहीं करता है, [illegible] जाएगा कि वह साक्ष्य उसके विरुद्ध था। वादीगण का संवत 2021 से संवत 2074 (लगभग 53 वर्ष) तक के रिकॉर्ड के बारे में मौन रहना यह दर्शाता है कि वे निरंतर कब्जे में [illegible] थे और न ही कभी खातेदार के रूप में दर्ज रहे।

वादीगण ने दशकों पुरानी राजस्व प्रविष्टियों को चुनौती दी है। राजस्व रिकॉर्ड सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं, अतः वादी का यह कथन कि उन्हें हाल ही में ई–मित्र पर पता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:29 IST
Reason: SelfAttested

चला, कानूनन स्वीकार्य नहीं है। लम्बे समय से चली आ रही प्रविष्टियों को केवल मौखिक साक्ष्य या कुछ वर्षों की गिरदावरी के आधार पर नहीं बदला जा सकता।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 से 7 को काल्पनिक बताया है, किन्तु उन्हीं के विरुद्ध घोषणा का अनुतोष चाहा है। यदि कोई व्यक्ति काल्पनिक है, तो उसके विरुद्ध प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती। यदि वादी का तर्क मान लिया जावे कि दर्ज खातेदार लापता हैं, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत ऐसी भूमि परित्यक्त होकर राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए, न कि सीधे वादी को मिलनी चाहिए।

16. केवल कब्जा, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों न हो, जब तक वह वैध न हो, खातेदारी अधिकार में परिवर्तित नहीं हो सकता। गिरदावरी में नाम होने मात्र से कोई व्यक्ति खातेदार की श्रेणी में नहीं आता। अतः

आदेश

उपरोक्त विधिक विवेचन और साक्ष्य के अभाव में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। वादीगण का दावा साक्ष्य विहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री तैयार हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.05.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:29 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023 / 05 दर्ज तिथिः—05.01.2023

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. सीताराम जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सन्तरा पत्नि स्व. मदनलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. नरेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. पवन कुमार पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. सोनू पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. शारदा देवी पत्नि स्व. श्यामलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. हीरालाल पुत्र स्व. श्यामलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. रोहित पुत्र स्व. श्यामलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
2. सर्व साधारण
3. इन्द्र चन्द पुत्र हरख चन्द जाति महाजन निवासी चूरू
4. चम्पालाल पुत्र सुगन चंद जाति महाजन निवासी चूरू
5. सागरमल पुत्र फतेह चन्द्र जाति महाजन निवासी चूरू
6. सोहनलाल पुत्र सुगन चन्द जाति महाजन निवासी चूरू
7. हंसराज पुत्र हरख चन्द जाति महाजन निवासी चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री सुरेन्द्र जाखड़
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 अन्तर्गत धारा—88 प्रस्तुत दावा साक्ष्य के अभाव होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 01.05.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:29 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार—।) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)